(भारत के राजपत्र असाधारण भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
विदेश व्यापार महानिदेशालय
वाणिज्य भवन, नई दिल्ली

अधिसूचना सं. 36/2023
दिनांकः 18 अक्तूबर, 2023

विषयः चीनी के निर्यात पर प्रतिबंध की तारीख को 31 अक्टूबर, 2023 से आगे बढ़ाना।

सा.आ.(अ): विदेश व्यापार नीति, 2023 के पैरा 1.02 और 2.01 के साथ पठित यथा संशोधित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 (1992 की संख्या 22) की धारा 5 के साथ पठित धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार अधिसूचना संख्या 40/2015–2020 दिनांक 28 अक्टूबर, 2022 के आंशिक संशोधन में, एतत्‌द्वारा एचएस कोड 1701 14 90 और 17019990 के तहत चीनी (खांड, सफेद चीनी, परिष्कृत चीनी और जैविक चीनी) के निर्यात पर 'प्रतिबंध' की तारीख 31 अक्टूबर, 2023 से आगे अगले आदेशों तक बढ़ाती है।

2. यह प्रतिबंध संबंधित सार्वजनिक सूचनाओं में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सीएक्सएल और टीआरक्यू कोटा के तहत ईयू और यूएसए को निर्यात की जाने वाली चीनी पर लागू नहीं है।

3. **इस अधिसूचना का प्रभावः**

चीनी (खांड, सफेद चीनी, परिष्कृत चीनी और जैविक चीनी) के निर्यात पर प्रतिबंध 31.10.2023 से आगे अगले आदेश तक बढ़ा दिया गया है। अन्य शर्तें यथावत रहेंगी।

संतोष कुमार सारंगी 18.10.2023

(संतोष कुमार सारंगी)
महानिदेशक विदेश व्यापार
और पदेन अपर सचिव, भारत सरकार
ई–मेलः dgft@nic.in

(फा. सं. 01/91/180/879/एएम08/ईसी/खण्ड 8/ई–20749 से जारी)